

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :स. 3-5(5)स्थाना/राजपत्रित/अभि/2016/1754-73

जयपुर, दिनांक: 13.12.2022

आदेश

श्री राकेश बंसा, अभियोजन अधिकारी, न्यायालय एसीजेएम, गुढामालानी, बाड़मेर का स्थानान्तरण /पदस्थापन प्रशासनिक तौर पर लोकहित में न्यायालय एसीजेएम सांभर, जयपुर देहात में अभियोजन अधिकारी के पद पर-तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। श्री बंसा का स्थानान्तरण स्वेच्छिक है, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।


संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

  
(युधिष्ठिर शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
7. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर